AFR

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

आरक्षित दिनांक 22–09–2021
घोषित दिनांक 23–11–2021

CRMP NO. 802/2020

बसंत कुमार कटारिया आ० श्री चम्पालाल, उम्र लगभग–59 वर्ष,
प्रोपराईटर ऋषभ बिल्डरस, पता ऋषभ नगर, दुर्ग,
तहसील एवं जिला–दुर्ग (छ०ग०) **– याचिकाकर्ता**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरूद्ध

अमजद अली आ० श्री कादर अली, उम्र लगभग – 39 वर्ष,
पता– मकान नं०– R–13 ऋषभ ग्रीन सीटी, पुलगांव नाका दुर्ग,
तहसील एवं जिला–दुर्ग (छ०ग०) **– प्रतिवादी**

याचिकाकर्ता के लिए : अधिवक्ता श्री पी.आर. पटनाकर
प्रतिवादी के लिए : अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर.

माननीय श्री न्यायामूर्ति नरेन्द्र कुमार व्यास

सी.ए.वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग के न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के आपराधिक अपील क्रमांक 48/2020 में पारित

AFR

आदेश दिनांक 31.01.2020 को चुनौती देते हुए वर्तमान सी०आर०एम०पी० प्रस्तुत किया है जिसके द्वारा विद्वान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने अभियोजन के अभाव में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया ।

2. याचिकार्ता द्वारा दर्शित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध दिनांक 13.08.2015 में परिवाद दायर किया, जिसमें कहा गया कि प्रत्यर्थी अमजद अली ने याचिकाकर्ता को, इलाहाबाद बैंक न्यू खुर्शीपार भिलाई का चेक नंबर 63225 दिनांक 27.10.2010 रूपये 10,00,000/– का जारी किया और जब याचिकाकर्ता ने उक्त चेक बैंक में जमा किया तो उक्त चेक प्रत्यर्थी के बैंक खाते में अपर्याप्त निधि होने से अनादरित हो गया। जिसके पश्चात याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी के विरूद्ध पराक्रम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत परिवाद दायर किया जो आपराधिक परिवाद क्रमांक 3837/2015 के रूप में दर्ज हुआ। विद्वान प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश दिनांक 21.11.2019 के द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दायर परिवाद स्वीकार कर अभियुक्त/प्रत्यर्थी के विरूद्ध चेक दिनांक 27.10.2010 रूपये 10,00,000/–रूपये के अनादरित होने के आरोप को प्रमाणित पाते हुए अभियुक्त को दोषसिद्ध किया और अभियुक्त को प्रतिकर के रूप में परिवादी को रूपये 1,00,000/–रूपये देने का निर्देश दिया, प्रतिकर की अदायगी के व्यतिक्रम में एक माह 20 दिन का साधारण कारावास भुगताने का निर्देश दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी ने सत्र न्यायाधीश दुर्ग के समक्ष यह आक्षेप लगाते हुए, पर्याप्त प्रतिकर न देने की सीमा तक अपील दायर की,

AFR

कि यदि पराक्रम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के अधीन अपराध प्रमाणित पाया जाता है तो अभियुक्त दुगुनी राशि तक प्रतिकर अदा करने के लिए दायी होगा जबकि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने केवल 1,00,000/– रूपये प्रतिकर का प्रदान किया है इसलिए यह अधिनियम 1881 की धारा 138 का स्पष्ट उल्लंघन है । दिनांक 17.01.2020 को विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपील दायर की गयी जिसके पश्चात विद्वान सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया और दिनांक 16.01.2020 को प्रकरण प्रारंभिक तर्क के लिए नियत किया गया। उक्त दिनांक को विद्वान सत्र न्यायाधीश दुर्ग ने प्रकरण प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग के न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित किया। विद्वान अपीलीय न्यायालय ने दिनांक 24.01.2020 को प्रकरण प्रारंभिक सुनवाई के लिए नियत किया। उक्त दिनांक को अपीलार्थी अनुपस्थित था इसलिए प्रकरण दिनांक 31.01.2020 के लिए स्थगित किया गया और चूंकि 31.01.2020 को अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता अनुपस्थित थे, अपीलीय न्यायालय ने अभियोजन की अनुपस्थिति में अपील को खारिज कर दिया । इस आदेश को याचिकाकर्ता के द्वारा इस न्यायायल के समक्ष, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर कर चुनौती दी गयी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. याचिककर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निम्न न्ययालय द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 48/2020 में पारित आलोच्य आदेश विधि, तथ्य एवं प्रकरण की परस्थितियों के विपरीत है । विद्वान निम्न न्यायालय को विचार करना चाहिए था कि 16.01.2020 को प्रकरण प्रारंभिक तर्क के लिए नियत था, किन्तु अधिवक्तगण की हड़ताल होने से, कोई भी

AFR

उपस्थित नहीं हो सका एवं आगामी तिथि न तो याचिकाकर्ता को और न ही उसके अधिवक्ता को ज्ञात थी इसलिए अपील अभियोजन के अभाव में खारिज नहीं की जानी चाहिए थी । उनके द्वारा आगे निवेदन किया गया कि यह सुस्थापित विधि है कि अधिवक्ता की त्रुटि के कारण पक्षकार जो कि वर्तमान याचिकाकर्ता है प्रताडित नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ता अथवा उसके अधिवक्ता के द्वारा अपने प्रकरण का उचित रूप से अभियोजन न करने में जानबूझकर उपेक्षा नहीं की गयी थी और इस तरह याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उसके द्वारा आगे निवेदन किया गया कि चेक 10,00,000/– (दस लाख रूपये) का था जबकि याचिकाकर्ता को केवल 1,00,000/–रूपये(एक लाख रूपये) का प्रतिकर अवार्ड किया गया जिसके लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 372 के तहत दायर की गयी अपील गुण–दोष पर सुना जाना चाहिए इसलिए, आलोच्य आदेश दिनांक 31.10.2020 अवैध और अपास्त किये जाने योग्य है तथा अपील को आगे गुण–दोष पर सुने जाने के लिए पुनः मूल नंबर पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश का समर्थन किया है ।

6. इस न्यायायल द्वारा इस बिन्दु पर विचार किया जाना है कि क्या विद्वान अपीलीय न्यायायल परिवादी द्वारा दण्ड वृद्धि के लिए दायर दाण्डिक अपील को परिवादी/अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अभियोजन के अभाव में खारिज कर सकता है ?

7. प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख करने के पूर्व इस न्यायालय के लिए यह उचित है कि वह दांडिक अपील की सुनवाई के समय दण्ड प्रक्रिया संहिता

AFR

की योजना पर विचार करें। दण्ड प्रक्रिया संहिता के सुसंगत प्रावधान धारा 384, 385 एवं 386 आवश्यक है जिन्हें तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है।

"**384. अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना.**

(1) यदि धारा 382 या धारा 383 के अधीन प्राप्त अपील की अर्जी और निर्णय की प्रतिलिपि की परीक्षा करने पर अपील न्यायालय का यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अपील को संक्षेपतः खारिज कर सकता है : परंतु

(क) धारा 382 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक खारिज न की जाएगी जब तक अपीलार्थी या उसके प्लीडर को उसके समर्थन में सुने जाने का उचित अवसर न मिल चुका हो;

(ख) धारा 383 के अधीन कोई अपील उसके समर्थन में अपीलार्थी को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना खारिज नहीं की जाएगी, जब तक अपील न्यायालय का यह विचार न हो कि अपील तुच्छ है या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को अभिरक्षा में पेश करने से मामले की परिस्थितियों के अनुपात में कहीं अधिक असुविधा होगी;

(ग) धारा 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील तब तक संक्षेपतः खारिज न की जाएगी जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि का अवसान न हो चुका हो।

(2) किसी अपील को इस धारा के अधीन खारिज करने के पूर्व न्यायालय मामले के अभिलेख मंगा सकता है ।

(3) जहां इस धारा के अधीन अपील खारिज करने वाला अपील न्यायालय, सेशन न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, वहां वह ऐसा करने के अपने कारण अभिलिखित करेगा।

(4) जहां धारा 383 के अधीन उपस्थित की गई कोई अपील इस धारा के अधीन संक्षेपतः खारिज कर दी जाती है और अपील न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उसी अपीलार्थी की ओर से धारा 382 के अधीन सम्यक् रूप से उपस्थित की गई अपील की अन्य अर्जी पर उसके द्वारा विचार नहीं किया गया है वहां, धारा 393 में

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

किसी बात के होते हुए भी, यदि उस न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह ऐसी अपील विधि के अनुसार सुन सकता है और उसका निपटारा कर सकता है ।

385. संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया

(1) यदि अपील न्यायालय अपील को संक्षेपतः खारिज नहीं करता है तो वह उस समय और स्थान की, जब और जहाँ जैसी अपील सुनी जाएगी, सूचना:–

(i) अपीलार्थी या उसके प्लीडर को;

(ii) ऐसे अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे;

(iii) यदि परिवादी पर संस्थित मामले में दोषसिद्धि के निर्णय के विरूद्ध अपील की गई तो परिवारी को;

(iv) यदि अपील धारा 377 या धारा 378 के अधीन की गई हो तो अभियुक्त को, दिलवाएगा, और ऐसे अधिकारी, परिवादी और अभियुक्त को अपील के आधारों की प्रतिलिपि भी देगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) यदि अपील न्यायालय के मामले का अभिलेख, पहले से ही उपलब्ध नहीं है तो वह न्यायालय ऐसा अभिलेख मंगाएगा और पक्षकारों को सुनेगा :

परंतु यदि अपील केवल दण्ड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में है तो न्यायालय अभिलेख मंगाए बिना ही अपील का निपटारा कर सकता है।

(3) जहाँ दोषसिद्धि के विरूद्ध अपील का आधार केवल दण्डादेश की अभिकथित कठोरता है, वहाँ अपीलार्थी न्यायालय की इजाजत के बिना अन्य किसी आधार के समर्थन में न तो कहेगा और न उसे उसके समर्थन में सुना ही जाएगा ।

386. अपील न्यायालय की शक्तियाँ. ऐसे अभिलेख के परिशीलन और यदि अपीलार्थी या उसका प्लीडर हाजिर है तो उसे तथा यदि लोक अभियोजक हाजिर है तो उसे और धारा 377 या धारा 378 के

अधीन अपील की दशा में यदि अभियुक्त हाजिर है तो उसे सुनने के पश्चात अपील न्यायालय उस दशा में जिसमें उसका यह विचार है कि हस्तक्षेप करने का पर्याप्त आधार नहीं है अपील को खारिज कर सकता है, अथवा–

(क) दोषमुक्ति के आदेश से अपील में ऐसे आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि अतिरिक्त जांच की जाए अथवा अभियुक्त, यथास्थिति, पुनः विचारित किया जाए या विचारार्थ सुपुर्द किया जाए, अथवा उसे दोष ठहरा सकता है और उसे विधि के अनुसार दण्डादेश दे सकता है ;

(ख) दोषसिद्धि से अपील में–

(i) निष्कर्ष और दण्डादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपील न्यायालय के अधीनस्थ सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय उसके पुनः विचारित किए जाने का या विचारार्थ सुपुर्द किए जाने का आदेश दे सकता है, अथवा

(ii) दण्डादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, अथवा

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना दण्ड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिमाण में परिवर्तन कर सकता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि उससे दण्ड में वृद्धि हो जाए;

(ग) दण्डादेश की वृद्धि के लिए अपील में

(i) निष्कर्ष और दण्डादेश को उलट सकता है और अभियुक्त को दोषमुक्त या उन्मोचित कर सकता है या ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा उनका पुनर्विचार करने का आदेश दे सकता है, या

(ii) दण्डादेश को कायम रखते हुए निष्कर्ष में परिवर्तन कर सकता है, या

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

AFR

(iii) निष्कर्ष में परिवर्तन करके या किए बिना, दण्ड के स्वरूप या परिणाम में अथवा स्वरूप और परिणाम में परिवर्तन कर सकता है जिससे उसमें वृद्धि या कमी हो जाए;

(घ) किसी अन्य आदेश से अपील में ऐसे आदेश को परिवर्तित कर सकता है या उलट सकता है;

(ङ) कोई संशोधन या कोई परिणामिक या आनुषंगिक आदेश, जो न्यायसंगत या उचित हो, कर सकता है:

परन्तु दण्ड में तब तक वृद्धि नहीं की जाएगी जब तक अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के लिए विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर न मिल चुका हो: परन्तु यह और कि अपील न्यायालय उस अपराध के लिए, जिसे उसकी राय में अभियुक्त ने किया है उससे अधिक दण्ड नहीं देगा, जो अपीलाधीन आदेश या दण्डादेश पारित करने वाले न्यायालय द्वारा ऐसे अपराध के लिए दिया जा सकता था ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. आदेश दिनांक 31.01.2020 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने अपील का गुण–दोष पर निराकरण नहीं किया बल्कि अपील स्वीकार किये जाने के स्तर पर प्रकरण के गुण–दोष पर विचार किये बिना अपील को अभियोजन के अभाव में खारिज कर दिया गया जो कि अपीलीय न्यायालय द्वारा की गयी स्पष्ट दर्शित त्रुटि है जबकि यदि परिवादी या अधिवक्ता प्रकरण की सुनवाई तिथि पर न्यायालय के अनुपस्थित है तब भी अपीलीय न्यायायल को अपील का निराकरण गुण–दोष के आधार पर करना चाहिए जैसा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय ने बानीसिंग एवं अन्य विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य,** (1996) 4 SSC 720 में प्रकाशित के पैरा 14, 15, 16 एवं 17 में निर्धारित किया गया है जो कि सुलभ संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है ।

AFR

"14. हमने इस न्यायालय के उक्त दो निर्णयों को सावधानीपूर्वक विचार किया और हम यह कह सकते हैं कि श्यामदेव के प्रकरण में लिया गया दृष्टिकोण एक छोटे से स्पष्टीकरण को छोड़कर सही प्रतीत होता, जिसका उल्लेख करना हम आवश्यक समझते हैं। धारा 385 की साधारण भाषा यह स्पष्ट करती है कि यदि अपीलीय न्यायालय अपील को संक्षिप्ततः निराकरण करने के लिए उपयुक्त नहीं मानता है तो उसे अभिलेख मंगवाना चाहिए तथा धारा 386 यह निर्देश देती है कि अभिलेख प्राप्त होने के पश्चात अपीलीय न्यायायल अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अपील का निराकरण कर सकता है इसके धारा 385, 386 की साधारण भाषा अभियोजन की अनुपस्थित में साधारणतः अपील को खारिज करने का विचार नहीं करती है। इसके विपरीत संहिता अपील के गुण–दोष के आधार पर निपटारे की परिकल्पना करती है। विधि अपीलीय न्यायालय से अपील स्पष्ट रूप से अपेक्षा करती है कि अपील का निराकरण गुण–दोष पर करें, न कि केवल निर्णय में विचारण न्यायालय के तर्कों का अवलोकन कर बल्कि खुद को संतुष्ट करने के नजरिये से दर्ज किया गया तर्क और निष्कर्ष अभिलेख में मौजूद सामग्री के अनुरूप है इसलिए विधि अपील का निराकरण डिफाल्ट या बिना अभियोजन के खारिज करने की परिकल्पना नहीं करती बल्कि अभिलेख के अवलोकन उपरांत गुण–दोष पर सावधानी से विचार कर निराकरण करने की करती है । इसलिए, सम्मान के साथ, हम राम नरेश यादव के प्रकरण के सुझाव से सहमत होना मुश्किल पाते हैं कि यदि अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है तो उचित तरीका अपील को अभियोजन की अनुपस्थिति में खारिज करना होगा ।

15. दूसरा : विधि अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षा करती है कि यदि अपीलार्थी अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता एवं यदि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

लोक अभियोजक उपस्थित है तो उसे अपील के गुण–दोष पर निराकरण के पूर्व सुनवाई का अवसर दे । धारा 385 में कहा गया है कि यदि अपील का संक्षिप्ततः खारिज नहीं की जाती है तो अपीलीय न्यायालय को अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को अपील की सुनवाई के समय एवं स्थान की सूचना देनी चाहिए। तब धारा 386 उपबंधित करती है कि अपीलीय न्यायालय अभिलेख के अवलोकरन के पश्चात, अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता यदि उपस्थित है तो उन्हें सुनेगी । यहां ध्यान देने योग्य है कि धारा 385 उपबंधित करती है कि अपील की सुनवाई के समय एवं स्थान की सूचना या तो अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को देनी है, दोनों को साथ में देने की परिकल्पना नहीं करती। संभवतः इसलिए क्योंकि अधिवक्ता को सूचना को पर्याप्त माना जाता है चूंकि वह अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करता है । इसलिए धारा 386 भी उपबंधित करती है कि सुनवाई के लिए अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता को यदि उपस्थित है, दिया जाना है एवं दोनों को सुना जाना आवश्यक नहीं । अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता का यह कर्तव्य है कि जिस दिन, समय व स्थान पर अपील की सुनवाई के लिए नियत किया गया है, उपस्थित रहें । संहिता की धारा 385–386 को पढ़ने पर संहिता की यह आवश्यकता है। विधि यह आदेश नहीं देती कि यदि अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता दोनों अनुपस्थित है तो न्यायालय प्रकरण को स्थगित कर दे । यदि न्यायालय प्रज्ञा अथवा अनुग्रह के कारण ऐसा करता है तो यह अलग बात है पर वह मामले को स्थगित करने के लिए बाध्य नहीं है। यह अपील का निराकरण अभिलेख एवं विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन उपरांत कर सकता है । हांलाकि हम यह जोड़ना चाहेंगे कि यदि अभियुक्त जेल में है और स्वयं न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकता है, यदि उसका अधिवक्ता उपस्थित नहीं है तो यह सलाह दी जाती है

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कि अपीलार्थी अथवा उसके अधिवक्ता के उपस्थित होने की सुविधा के लिए कोई अन्य तिथि तय करना उचित होगा। यदि उसका अधिवक्ता अनुपस्थित है एवं न्यायालय को यह उचित लगता है कि उसकी सहायता कि लिए राज्य के खर्च पर एक वकील नियुक्त करना चाहिए तो कानून में ऐसा कुछ नहीं है जो, उसे ऐसा करने से रोके। हमारी राय है और हम सम्मानपूर्वक कहते हैं कि राम नरेश यादव के मामले का फैसला करने वाली खंडपीठ ने संहिता की धारा 385–386 के प्रावधानों को सही तरीके से लागू नहीं किया, जब उसने संकेत दिया कि अपीलीय न्यायालय का दायित्व है कि यदि अपीलकर्ता या उसका वकील अनुपस्थित रहता है तो मामले को किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. ऐसा दृष्टिकोण गतिरोध की स्थिति पैदा कर सकता है। अपीलकर्ता और उसका वकील बिना किसी दंड के अनुपस्थित रह सकते हैं, एक बार नहीं बल्कि बार–बार जब तक न्यायालय अपीलकर्ता की उपस्थिति के लिए वारंट जारी नहीं करता। वकील की अनुपस्थिति के खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत करने से अपील की प्रगति नहीं हो सकती। यदि राज्य के खर्च पर कोई अन्य वकील नियुक्त किया जाता है, तो उसे भी निर्देशों के लिए अपीलकर्ता की उपस्थिति की आवश्यकता होगी और इससे न्यायालय उसी स्थिति में आ जाएगा। इसलिए, ऐसी प्रक्रिया बोझिल साबित हो सकती है और अनुशासनहीनता को बढ़ावा दे सकती है। यहां तक की अगर अपीलकर्ता की अनुपस्थिति में मामले का निर्णय गुण–दोष के आधार पर किया जाता है, तो उच्चतर न्यायालय, न्याय की विफलता होने पर स्थिति को सुधार सकता है। यह समान रूप से लागू होगा यदि अभियुक्त प्रतिवादी है, क्योंकि स्पष्ट कारण यह है कि यदि अपील का निपटारा प्रतिवादी या उसके

वकील की सुनवाई के बिना नहीं किया जा सकता है, तो अपील की प्रगति रुक जाएगी।

17. ऊपर बताई गई विधिक स्थिति को देखते हुए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय ने गुण–दोष की जांच किए बिना अभियोजन की अनुपस्थिति में अपील को खारिज करके त्रुटि की है। इसलिए, हम आलोच्य आदेश को निरस्त करते हैं और इस निर्णय के आलोक में गुण–दोष के आधार पर निपटान के लिए अपील को उच्च न्यायालय को भेजते हैं। तदनुसार अपील स्वीकार की जाएगी।

9. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के.एस. पांडुरंगा बनाम कर्नाटक राज्य, (2013) 3 एससीसी 721** में प्रकाशित, पैरा 32 में निर्णय दिया है, जिसे त्वरित संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"32. कानून की उपरोक्त घोषणा के मद्देनजर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मोहम्मद सुकुर अली (सुप्रा) में यह कथन कि न्यायालय अभियुक्त के वकील की अनुपस्थिति में आपराधिक अपील का फैसला नहीं कर सकता है और वह भी तब जब वकील जानबूझकर उपस्थित नहीं होता है या उपस्थित होने में लापरवाही दिखाता है, जो कि बानी सिंह (सुप्रा) में बड़ी पीठ द्वारा निर्धारित अनुपात के विपरीत है, यह अनुचित है। हम यह स्पष्ट करने के लिए जोड़ सकते हैं कि उक्त पहलू को छोड़कर जहां तक एमिकस क्यूरी की नियुक्ति या उसमें तथ्यात्मक मैट्रिक्स प्राप्त करने के संबंध में निर्णय लिया गया है या बार एसोसिएशन या वकीलों की भूमिका है, उक्त निर्णय पर कुछ भी कहने का इरादा नहीं रखते है । इस प्रकार अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क कि उच्च न्यायालय को वकील की उपस्थिति के बिना अपील पर उसके गुण–दोष के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए था, स्वीकार

करने योग्य नहीं है। इसके अलावा, यह ध्यान देने योग्य है कि खुली अदालत में निर्णय सुनाए जाने के बाद, वकील उपस्थित हुए और उन्हें अपनी दलीलें रखने की अनुमति दी गई और उसी पर विचार किया गया है"।

10. अभी हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सकुंथला बनाम राज्य पुलिस निरीक्षक** द्वारा प्रतिनिधित्व आपराधिक अपील संख्या 474/2020 (एसएलपी (क्रि) संख्या 3031/2020 से उत्पन्न) निर्णय दिनांक 08.01.2020 में निम्नानुसार निर्धारित किया किया है :

"श्री थॉमस फ्रैंकलिन सीजर, अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील उपस्थित हुए हैं। उन्होंने हमारे समक्ष के.एस. पांडुरंगा बनाम कर्नाटक राज्य (2013) 3 एससीसी 721, प्रस्तुत किया है । दोषसिद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील को डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है, बल्कि अपीलकर्ता के व्यक्तिगत रूप से या उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वकील के उपस्थित न होने पर भी गुण–दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और निर्णय लिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और कानूनी स्थिति को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय ने मामले के रिकॉर्ड की जांच किए बिना आपराधिक अपील को खारिज करने में अवैधता और अनियमितता की है, इसलिए, आपराधिक अपील संख्या 48/2020 में पारित दिनांक 31–1–2020 का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है और इसके द्वारा इसे अपास्त किया जाता है, आपराधिक अपील संख्या 48/2020 को उसके मूल नंबर पर बहाल किया जाए और

AFR

उसके बाद, अपीलीय न्यायालय अपील पर अपने गुण–दोष के आधार पर निर्णय करेगा।

12. तदनुसार, मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की अदालत में वापस भेजा जाता है। अपीलीय न्यायालय, दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देने तथा रिकार्ड में उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात, अपील पर गुण–दोष के आधार पर निर्णय करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है। अपीलीय न्यायालय अपील को स्वीकार किए जाने पर सूचीबद्ध करेगा। याचिकाकर्ता को 21–12–2021 को अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। इस मामले का अभिलेख तत्काल अपीलीय न्यायालय को भेजा जाए।

13. उपरोक्त अवलोकन तथा निर्देश के मद्देनजर वर्तमान सीआरएमपी स्वीकृत की जाती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एसडी/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

AFR

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur